राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या 3218/2005(904/2004)/नागौर

राजस्थान सरकार जरिए उप पंजीयक
मकराना प्रार्थी — प्रार्थी

बनाम

1. जमील अहमद 2. खलील अहमद 3. मोहम्मद पुत्रान अब्दुल शकूर
जाति मुसलमान गौड
निवासी–मकराना तहसील परबतसर जिला नागौर
4. नूर हसन पुत्र शकूर जाति मुसलमान — अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रार्थी राजस्व की ओर से
श्री श्रीनिवास बेनीवाल
अभिभाषक — अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 12.08.2016

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी राजस्व की ओर से राजस्थान मुद्रांक अधिनियम,1998(जिसे आगे मुद्रांक अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत कलेक्टर (मुद्रांक) वृत अजमेर (जिसे आगे कलेक्टर(मुद्रांक)कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण संख्या 382/2003 में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 4 ने कस्बा मकराना में अपने सम्पूर्ण खातेदारी की भूमि 17 बीघा 8 बिस्वा में अपने हिस्से की भूमि अपने सगे भाईयों अप्रार्थी संख्या एक से तीन के पक्ष में हक त्याग कर दस्तावेज हक तर्कनामा दिनांक 22.07.1994 को उप पंजीयक मकराना के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये। उप पंजीयक उक्त हक तर्कनामा को पंजीकृत करके पक्षकारें को लौटा दिया। तत्पश्चात आन्तरिक लेखा जांच दल ने अपने निरीक्षण में बटवारानामा होने से आडिट आक्षेप पर वरिष्ठ लेखाधिकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर ने रेफरेन्स बनाकर कलक्टर(मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात कलक्टर(मुद्रांक) ने विवादाधीन निर्णय दिनांक 10.09.2003 पारित कर रेफरेन्स चलने योग्य नही मानकर खारिज कर दिया,जिससे असन्तुष्ट होकर राजस्व की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

प्राथी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया हक त्यागकर्ता ने तर्कनामा में स्वयं ने लिखा है कि मेरे हिस्से की भूमि के एवज में अपने पारिवारिक निवारण के अनुसार मुझे अन्य जगह सम्पत्ति प्राप्त हो गई है, जिससे स्पष्ट है कि पक्षकारों ने अपने हिस्से की भूमि अन्य दूसरी जगह लेकर अपने हिस्से की भूमि को अपने भाईयों के पक्ष में हम त्याग किा है जो हक त्याग न होकर पारिवारिक

बंटवारा है, जिस पर विभाजन के अनुसार मुद्रांक कर देय है। उनका कथन है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि सहहिस्सेदारों द्वारा अगर एक दूसरे के पक्ष में बंटवारा करते है तो वह विभाजन कहलाता है क्योंकि पक्षकारें द्वारा अपने–अपने हिस्से की सम्पत्ति अन्य जगह लेकर अपने भाईयों के पक्ष में हक त्याग किया है, जो हक त्याग न होकर बंटवारा है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कलक्टर (मुद्रांक) के विवादाधीन निर्णय को अविधिक बताते हुए प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 4 ने कस्बा मकराना में अपने सम्पूर्ण खातेदारी की भूमि 17 बीघा 8 बिस्वा में अपने हिस्से की भूमि अपने सगे भाईयों अप्रार्थी संख्या एक से तीन के पक्ष में हक त्याग कर दस्तावेज हक तर्कनामा दिनांक 22.07.1994 को कर दिया है, जो राजस्थान स्टाम्प नियम 1952 के द्वितीय अनुसूची के आर्टीकल 55 के अन्तर्गत एक भाई द्वारा अन्य भाईयों के हक में पैतृत सम्पत्ति का हक त्याग रिलीज की परिभाषा में आता है। उनका कथन है कि कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, उनके समक्ष उप पंजीयक मकराना द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को चलने योग्य नही मानकर खारिज किया है,जो पूर्णतः विधिक है। उनका कथन है कि सगे भाई द्वारा पैतृक सम्पत्ति का अपना हिस्सा सगे भाईयों की पत्नी व उनके बच्चे के पक्ष में हक त्याग कर सकता है, जो कन्वेन्श की श्रेणी में नही आता है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय को विधिक बताते हुए निगरानी अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस के दौरान बताये गये न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किया गया। इस प्रकरण में नूरहसन पुत्र सकूर ने जमील अहमद, खलील अहमद व मोहम्मद आमील पुत्रान सकूर को पैतृक सम्पत्ति का अपना हिस्सा सगे भाईयों पक्ष में एक सौ रू. स्टाम्प में लिखकर हक त्याग किया है, जिसे कलेक्टर(मुद्रांक)विधिक मानकर निर्णय दिनांक 10.09.2003 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर राजस्व की ओर से यह यह मानकर निगरानी प्रस्तुत की गई है कि यह हक त्याग नहीं होकर पारिवारिक बटवारा है,जिस पर मुदांक कर देय है।

इस बिन्दु के निस्तारण के सम्बन्ध में राजस्थान मुद्रांक अधियिम,1998 की धारा 3 की अनसूची के आर्टिकल 48 का अवलोकन करना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

" 55. **Release**, that is to say any instrument (not being such a release as is provided for by section 23-A) where by a co-owner, co-sharer or coparcener renounces his interest, share, part of claim in favour of another co-owner, co-sharer of co-parcener".	
(a) if the release deed of an ancestral property or part thereof is executed by or in favour of brother or sister **(children of renouncer's parents)** or son or daughter or son of predeceased son or daughter of a predeceased son or father or mother or spouse of the renouncer or the legal heirs of the above relatives.	One hundred rupees".
(b) in any other case.	Same duty as on conveyance (No.23) for the amount equal to the market value of the share, interest, part or claim renounced.]"

उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि हकत्यागकर्ता के पिता के बच्चों में भाई या बहिन अथवा पुत्र या पुत्री अथवा मृतक पुत्र के पुत्र अथवा पुत्री अथवा पिता या माता अथवा हकत्यागकर्ता की पत्नि/पति या उक्त संबधियों के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा अथवा पक्ष में पैतृक सम्पत्ति या उसके भाग का रिलीज डीड निष्पादित किये जाने की स्थिति में 100/–रू. की मुदांक शुल्क देय होगी तथा रिलीज डीड के अन्य मामलों में मुद्रांक शुल्क की देयता हकत्याग की गई सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू पर हस्तान्तरण दस्तावेज(Conveyance) के लिए देय मुद्रांक शुल्क के अनुसार होगी। कलक्टर (मुदांक) ने उक्त विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत रेफरेन्स को चलने योग्य नही मानकर खारिज किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की औचित्य नजर नही आता है।

इस प्रकरण में इस प्रकरण में नूरहसन पुत्र सकूर ने जमील अहमद, खलील अहमद व मोहम्मद आमील पुत्रान सकूर को पैतृक सम्पत्ति का अपना हिस्सा सगे भाईयों पक्ष में एक सौ रू. स्टाम्प में लिखकर हक त्याग किया है।

पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है,जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उक्त रिलीज डीड के द्वारा पैतृक सम्पत्ति का पारिवारिक बटवारा किया गया है। बहस के दौरान भी ऐसा कोई दस्तोवजीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ह जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह रिलीज डीड न होकर पारिवारिक बटवारा किया गया है।

कलक्टर (मुद्रांक) ने प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात रेफरेन्स को चलने योग्य नहीं मानकर खारिज किया है । अतः राजस्व की ओर से प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार कर कलेक्टर (मुद्रांक) के निर्णय दिनांक 10.096.2003 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य